



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: एफ-7(76)रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष/2022/ 11174

दिनांक: 20/5/22

## स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय जयपुर जिला, भीलवाड़ा, अलवर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में वर्ष 2022 में रिक्त होने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों (कुल 08 पद) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

### 1. पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता-

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो दिनांक 31.12.2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

### 2. सेवा के निबंधन एवं शर्तें-

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए की जाएगी, तदनुपरान्त प्रतिवर्ष, सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकतम कुल 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं, स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें), नियम 2003 (यथासंशोधित) के अनुरूप देय होंगी।

(ग) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन बंध पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे संबंध नहीं रहेगा।

3. चयन की रीति / प्रक्रिया—

(क) स्थाई लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन, योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट: आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छटनी (शॉर्टलिस्टिंग) की जा सकेगी व तदनुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

4. आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा—

(क) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

(घ) आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र में वर्णित वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(ङ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.06.2022 समय दोपहर 01:00 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(च) ई-मेल अथवा फ़ैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।

6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।